OLC

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 98 /अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक 29 /12/2015

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2015 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.12.2015 के अनुमोदनानुसार **कोपलवाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, पं. सुंदरलाल शर्मा स्कूल कैंपस, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.A. - I (FC, Drawing, Painting, Dance & Sociology)	30	2016-17
2.	D.C.A.	30	

शर्तें :–

01. शासन के पत्र क्रमांक एफ 17–50/2015/38–2 दिनांक 10.08.2015 के द्वारा B.A. - I एवं D.C.A. की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
06. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है ।
07. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से **तीन माह** के भीतर पूर्ण करें।
08. शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 17–50/2015/38–2 दिनांक 10.08.2015 की सभी शर्तों के पालन तीन माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
09. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
10. उपरोक्त विषय के द्वितीय वर्ष हेतु नियमानुसार आवेदन 28 फरवरी 2017 के पूर्व प्रस्तुत कर संबद्धता प्राप्त करें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 99 /अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक 29 /12/2015

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ ।

Deputy Registrar (Acad.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C.G.)

कक्ष अधिकारी (अका.)

C:\Users\admin\Desktop\Private Colleges\Sambdhata Adesh-2015.docx 21

<u>भाग "ब"</u>

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

तिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता / अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए,

न्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 6104/अका/2015 रायपुर दिनांक 30/10/2015 के तहत आज दिनांक 05/11/2015 को कोपलवाणी-(श्रवण बाधित महाविद्यालय) चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन सुन्दर नगर रायपुर में बी. ए. प्रथम वर्ष (30 सीट) अनिवार्य विषय के साथ ड्राइंग, पेंटिंग नृत्य एवं समाजशास्त्र - डी.सी.ए. (30 सीट) के लिए सबंद्धता हेतु निरीक्षण किया गया। जिसमें निम्न तथ्य पाये गए।

(1) महाविद्यालय में बी.ए. एवं डी.सी.ए. प्राचार्य एवं शिक्षक नहीं है। वि.वि. के 28 परिनियम के तहत शिक्षकों एवं प्राचार्य कि नियुक्ति किया जाए।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षरण ....

(2) ~~अभी तक महाविद्यालय~~ में प्रवेश निरंक है।

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर – नाम – पता ....

(3) ~~महाविद्यालय~~ सुन्दरनगर लालाराम स्कूल के आगे बगीचे के एक हाल तथा 05 आरे में किराए पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम – पता ....

(4) महाविद्यालय को समिति द्वारा 08 कम्प्यूटर आदि प्रदान किए गया है। (निरंक)

दिनांक ....

(5) शासन द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 17-50/2015/38-2, रायपुर दिनांक 10/08/2015 की सभी शर्तों के पालन किए जाने की आवश्यकता है।

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

(6) प्रस्तावित महाविद्यालय जनशक्ति उनप्रासे संबंधित विविध प्रकार है।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR
अग्ने नय सुपथा राये

[signature] 5/11/15	[signature] 05/11/2015	[signature] 5/11/2015	[signature] 5.11.15
(7) प्रो. भगवत सिंह	डॉ. ए. के. पाण्डे	डॉ प्रमोद शर्मा	डॉ. ए. के. पटेल